प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3139/2008

याचिकाकर्ता :

रमेश कुमार वर्मा, आत्मज स्व. श्यामलाल वर्मा, आयु लगभग 33 वर्ष, नूतन कॉलोनी, क्यू.नं. 1-10, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, विधि मंत्रालय, विधि विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, स्थापना अनुभाग, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:-

याचिकाकर्ता के लिए श्री एच.एस. अहलुवालिया, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1/राज्य के लिए श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 2 एवं 3 के लिए श्री संजय एस. अग्रवाल, अधिवक्ता।

// मौखिक आदेश //

(दिनांक 18.02.2009 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्देश देने तथा दिनांक 11.02.2008 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश को अपास्त करने की मांग की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता अर्थात्; स्व. श्यामलाल वर्मा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में जमादार (भृत्य) के रूप में कार्यरत रहते हुए, दिनांक 20.12.2004 (अनुलग्नक पी/1) को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तदुपरांत, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी अधिकारियों के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति हेतु दिनांक 07.01.2005 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता की व्यथा यह है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति अनुदत्त नहीं की गई है। अनेक अनुरोधों के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन और आवेदन पर विनिश्चय नहीं किया है। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक 219/2006 प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को आवश्यक जाँच करने तथा याचिकाकर्ता के प्रकरण पर शासकीय नीति के अनुसार

और साथ ही इस न्यायालय द्वारा *ज्योति अग्रवाल* के प्रकरण में पारित निर्णय और आदेश के अनुसार, उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

3. न्यायालय के निर्देशानुसार, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने जाँच की और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। निर्धारित अवधि के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पर विनिश्चय करने में विफलता पर, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका क्रमांक 40/2008 प्रस्तुत की। अवमानना याचिका दायर करने के पश्चात, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने दिनांक 11.02.2008 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई पद रिक्त नहीं है। अतएव, यह याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, अभिवाचनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

5. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती की कोई पद्धति नहीं है, अपितु यह संकटग्रस्त परिवार के तत्काल पुनर्वास हेतु प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है ताकि मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अभावग्रस्तता से राहत मिल सके। दूसरे शब्दों में, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य अभावग्रस्त परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबारने में सक्षम बनाना है न कि रोजगार प्रदान करना। यह भी सुस्थापित है कि कर्मचारी की मात्र मृत्यु

उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं बनाती है यदि परिवार के सदस्य आय के अन्य स्रोतों से स्वयं का वित्तीय भरण-पोषण कर सकते हों।

6. **हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य विरुद्ध हाकिम सिंह**[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "किसी भी अनुकंपा नियुक्ति योजना का संपूर्ण उद्देश्य परिवार को सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपने एकमात्र अर्जक सदस्य के असामयिक निधन के कारण आश्रितों पर आए अचानक वित्तीय संकट से उबर सकें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **मणिपुर राज्य विरुद्ध मो. राजाउद्दीन**[2] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति पर विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई के पश्चात, निम्नानुसार निर्धारित किया

> "11. श्रीमती सुषमा गोसाईं एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य {1989 (4) एस.सी.सी. 468} के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के सभी दावों में, नियुक्ति में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ प्रदान करने का उद्देश्य परिवार में अर्जक सदस्य की मृत्यु के कारण होने वाली कठिनाई को कम करना है। इसलिए, संकटग्रस्त परिवार को राहत देने के लिए ऐसी नियुक्तियाँ तत्काल प्रदान की जानी चाहिए। यह तथ्य कि आश्रित अपने पिता की मृत्यु के समय अल्पवयस्क था, कोई आधार नहीं है, जब तक कि स्वयं योजना में विशेष रूप से अन्यथा परिकल्पना न की गई हो, यह कहने के लिए कि जब भी ऐसा अल्पवयस्क वयस्क होता है, उसे बिना किसी समय-चेतना या सीमा के नियुक्त किया जा

1 2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6060
2 ए.आई.आर. 2003 एस.सी.डब्ल्यू. 4339

सकता है। उपर्युक्त दृष्टिकोण को फूलवती (श्रीमती) विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य {1991 पूरक (2) एस.सी.सी. 689} और भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध भगवान सिंह {1995 (6) एस.सी.सी. 476} में दोहराया गया था। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं अन्य विरुद्ध पुष्पेंद्र कुमार एवं अन्य {1998 (5) एस.सी.सी. 192} के प्रकरण में, यह निर्धारित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में किसी विशेष पद के लिए आग्रह नहीं किया जा सकता है। विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता, परिवार गुजर-बसर करने में सक्षम नहीं होगा, मृतक के आश्रितों में से किसी एक को, जो नियुक्ति के लिए पात्र हो, नियुक्ति देने के उपबंध किए जाते हैं। तथापि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा नियोजन के आधार के लिए उपबंध, जो कि सामान्य उपबंधों का अपवाद स्वरूप है, उन अन्य व्यक्तियों के अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप न करे जो उस पद के विरुद्ध नियुक्ति पाने के पात्र हैं, जो पद उपलब्ध होता, यदि मृतक कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए जाने का उपबंध न होता। चूंकि यह सामान्य उपबंधों का अपवाद स्वरूप है, इसलिए यह उस उपबंध का स्थान नहीं ले सकता जिसका यह अपवाद है और इस प्रकार मुख्य उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनकर मुख्य उपबंध को शून्य नहीं कर सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य विरुद्ध सज्जाद अहमद मीर**[3] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, कंडिका 11 में निम्नानुसार निर्धारित किया :-

"11.....यह कि ऐसी नियुक्ति सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः, शासकीय या अन्य लोक क्षेत्रों में नियोजन उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला होना चाहिए जो आवेदन करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आ सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर, लोक पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। इस सामान्य नियम से विचलित नहीं

3 (2006) 5 एस.सी.सी. 766

होना चाहिए सिवाय वहाँ जहाँ अनिवार्य परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हों, जैसे कि एकमात्र अर्जक सदस्य की मृत्यु और इस झटके के कारण परिवार के पीड़ित होने की संभावना। एक बार जब यह सिद्ध हो जाता है कि अर्जक सदस्य की मृत्यु के बावजूद, परिवार जीवित रहा और पर्याप्त अवधि बीत चुकी है, तो नियुक्ति के सामान्य नियम को "अपवर्जित" करने और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश की उपेक्षा करते हुए कई अन्यों के हितों की कीमत पर एक पर कृपा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

9. अतः ऊपर उद्धृत निर्णयों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उत्तराधिकार के अधिकार के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। तदनुसार याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**